रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 1976/पौष 12, 1897

No. 4] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 1976/PAUSA 12, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security Force (II) Section (G&Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 2nd January 1976

S.O. 4(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Haryana for a period of six months with effect from 8-1-76 as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा बल (II) (अनुभाग जी० एण्ड क्यू०)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1976

का० आ० 4 (अ).—सी० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-76 से 7-7-76 तक छः मास के लिए हरियाणा से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 5(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Rajasthan for a period of six months with effect from 8-1-76 as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

का० आ० 5(अ).—सी० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-76 से 7-7-76 तक छः मास के लिए राजस्थान से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 6(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in West Bengal for a period of six months with effect from 8-1-76 as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

का० आ० 6(अ).—सी० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-76 से 7-7-76 तक छः मास के लिए वेस्ट बंगाल से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 7(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Bihar for a period of six months with effect from 17-1-76 as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

का० आ० 7(अ).—सी० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-1-76 से 16-7-76 तक छः मास के लिए बिहार से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 8(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Delhi for a period of six months with effect from 23-1-76 as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

का० आ० 8(अ).—सी० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23-1-76 से 22-7-76 तक छः मास के लिए देहली से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 9(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Kerala for a period of six months with effect from 25-1-76 as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

का० आ० 9 (अ).—सी० नि० सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 25-1-76 से 24-7-76 तक छः मास के लिए केरला से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 10(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Meghalaya for a period of six months with effect from 31-1-76 as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

का० आ० 10 (अ).—सी० नि० सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 31-1-76 से 30-7-76 तक छः मास के लिए मेघालय से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

सी० जी० सोमैया, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976